

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 110/11
(जीसीएमएस संख्या 2011/00111)

निर्णय दिनांक:- 30-11-2023



1. श्री संग्राम सिंह भाटी देवर स्व. श्रीमती कमल कंवर पत्नी स्व. योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खारबारा हाल मोटरासर हाऊस भुट्टो के चौराहे के पास, बीकानेर।
2. भंवर कंवर उर्फ राज कंवर ननद स्व. श्रीमती कमल कंवर पत्नी स्व. योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खारबारा हाल मोटरासर हाऊस भुट्टो के चौराहे के पास, बीकानेर।
सम्पत कंवर ननद स्व. श्रीमती कमल कंवर पत्नी स्व. योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खारबारा हाल मोटरासर हाऊस भुट्टो के चौराहे के पास, बीकानेर।
4. पुष्पा राठौड़ ननद स्व. श्रीमती कमल कंवर पत्नी स्व. योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खारबारा हाल मोटरासर हाऊस भुट्टो के चौराहे के पास, बीकानेर।

अपीलांट्स

—बनाम—

1. सुशील कुमार पुत्र छगनलाल जाति देवानी निवासी राणेर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 11-08-1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 11-08-1985 जिसके द्वारा अपीलांट्स की भाभी को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।



विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की भाभी के द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में तहसील पूगल के चक 3 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 109/52 के किला नम्बर 19 ता 25 तादादी 7 बीघा व चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/45 के किला नम्बर 6 ता 23 तादादी 18 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को आवंटित है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश हैं कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये हैं। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

राजस्थान राज्य अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।


4. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है, अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये हैं, वे संतोषजनक कारण नहीं हैं। अपीलांट को आवंटित भूमि का कालान्तर में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11-08-1985 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 08-07-2011 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काशतकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से



राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील, पूगल के चक 3 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 109/52 के किल नम्बर 19 ता 25 तादादी 7 बीघा व चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/45 के किला नम्बर 6 ता 23 तादादी 18 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अपीलांट को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।



7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 11-08-1985 यथावत बहाल रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए अपीलांट्स के आवंटन के संबंध में पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30/11/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर